विविध बैंक प्र0सं0 44/2017 पंजाब नेशनल बैंक शाख कार्यालय जौहरी बाजार जयपुर बनाम 1–मैसर्स जगदीश सन्स प्रोपराईटर सुधांशु वाधवा पता प्लॉट न0 2282 रामचन्द्र एनक्लेव, राठी धर्मशाला के सामने, धुला हाउस रोड, बापू बाजार, जयपुर (ऋणी) 2–मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार वाधवा पता दुकान न0 35 प्रथम तल, धुला हाउस रोड, बापू बाजार, जयपुर (ऋणी) 3–मैसर्स कसीदाकारी प्रोपराईटर श्रीमति गुंजन वाधवा पता सी–34, ए, रामगली न0 8, राजा पार्क जयपुर (ऋणी)

31–7–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक श्री जलविन्द्र सिंह भंगू उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 11.07.2017 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा **मैसर्स जगदीश सन्स प्रोपराईटर सुधांशु वाधवा** को दिनांक **19.02.14** को केश क्रेडिट के रूप में **चार करोड़ रूपए** का स्वीकृत किया गया था और **मैसर्स सुरेन्द्र डिजाईनर आर्ट प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार वाधवा** को दिनांक **08.07.2015** को *केश क्रेडिट* के रूप में **एक करोड़ पचास लाख रूपए** व **एडहाक लिमिट बाईस लाख पचास हजार रूपए कुल एक करोड़ बहतर लाख रूपए का** ऋण स्वीकृत किया एवं **मैसर्स कसीदाकारी** को दिनांक **25.04.2016** को **केश क्रेडिट** के रूप में **चार करोड़ रूपए एवं एडहाक लिमिट एक करोड़ रूपए कुल पांच करोड़** रूपए का ऋण स्वीकृत किया गया था और उक्त ऋणी फर्मो के खाते दिनांक 31.12.16 को एन.पी.ए. किये गये है। उक्त ऋणी फर्मो **मैसर्स जगदीश सन्स प्रोपराईटर सुधांशु वाधवा के खाते में 4,24,37,459.71रूपए व डिजाईनर आर्ट प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार वाधवा के खाते में 1,84,66,446.00रूपए व मैसर्स कसीदाकारी के खाते में 5,29,70,216.11 रूपए। इस प्रकार तीनो ऋणी फर्मो के खाते में 11,38,74,121.82 रूपए बकाया है** जो उक्त फर्मो द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद भी जमा नही करवाने के कारण प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0पत्र दिनांक 19.04.17 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त ऋणी फर्मो के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रा0 पत्र एवं उसके सलंग्न दस्तावेजात से प्रतीत होता है कि उक्त तीनो ऋणी फर्मो द्वारा संयुक्त रूप से ऋण नही लिया गया है बल्कि उक्त अप्रार्थीगण फर्मो ने अलग–2 रूप से भिन्न–2 तारीखों पर ऋण लिया है। इसलिए प्रत्येक ऋणी फर्म के विरूद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही के लिए अलग–2 आवेदन पत्र प्रस्तुत होने चाहिए जबकि उक्त तीनो ऋणी फर्मो के विरूद्ध एक ही आवेदन पत्र धारा 14 के तहत संयुक्त रूप से पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है। इसलिए प्राथी बैंक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र वापिस लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल प्रा0 पत्र दिनांक 19.04.17 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी अधिनियम 2002 व इसके सलंग्न समस्त कागजात वापिस लौटाकर प्रार्थी बैंक को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी बैंक प्रत्येक ऋणी फर्म के विरूद्ध धारा 14 के अन्तर्गत अलग–2 प्रकरण तैयार कर पूर्ण दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। धारा 14 के प्रा0 पत्र की प्रति पत्रावली में रखी जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31–07–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर